शीर्ष प्राथमिकता

संख्या– 1310 बी/क0नि0–6–2017

प्रेषक

राजेन्द्र सिंह मौर्य
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त/संस्थागत वित्त/सहकारिता/ आई0टी0 इलेक्ट्रॉनिक्स/ राजस्व/कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, उत्तर प्रदेश।

संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ दिनांक 15 सितम्बर, 2017

विषय –फसल ऋण मोचन योजना'' के कियान्वयन हेतु तृतीय चरण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

मुझे कहने का निदेश हुआ है कि योजनान्तर्गत कियान्वयन के लिए द्वितीय चरण की कार्यवाही समाप्ति पर है। इसके उपरान्त तृतीय चरण की कार्यवाही किया जाना अवशेष है। इस हेतु सम्यक् विचारोपरान्त योजना में तृतीय चरण की निम्नवत् समय–सारिणी निर्धारित की गयी है:–

अवधि	वांछित कार्यवाही
19 से 29 सितम्बर, 2017	समस्त अवशेष आधार–लिंक्ड तथा नॉन आधार–लिंक्ड डाटा का भौतिक सत्यापन
01 अक्टूबर, 2017	जिलों द्वारा उक्त सत्यापन के उपरान्त पोर्टल पर धनराशि की डिमाण्ड जनरेट करना
03 अक्टूबर, 2017	एनआईसी के स्तर से यूआईएडीआई से आधार–डुप्लीकेसी एवं अन्य चेक्स विशयक कार्यवाही किया जाना
04 से 05 अक्टूबर, 2017	कृशि विभाग द्वारा देयक (Bill) का कोषागार में प्रस्तुतीकरण एवं धनराशि का बैंकों की राज्य स्तरीय नोडल शाखाओं को अन्तरण किया जाना।
06 से 09 अक्टूबर, 2017	बैंकों की राज्य स्तरीय नोडल शाखाओं द्वारा पात्र कृषकों के खातों में धनराशि का अन्तरण तथा स्क्रॉल जनरेट कर मोचन प्रमाण पत्रों को प्रिण्ट करना।
09 अक्टूबर, 2017	कैम्प का आयोजन।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त समय–सारिणी के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही अविलम्ब प्रारम्भ करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।

संख्या– (1) बी/क0नि0–6–2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/विशेष सचिव, संस्थागत वित्त, विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, लखनऊ।
4. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, कृषि सांख्यिकी एवं फसल बीमा, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह मौर्य)
उप सचिव।